न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010049032026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1427/2026

1. अनस पुत्र इस्तकार निवासी ग्राम हिम्मतनगर दहपा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।
2. इस्तकार पुत्र इंतजार निवासी ग्राम हिम्मतनगर दहपा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा– 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा 7 क्रिमीनल अमेन्डमेन्ट एक्ट
थाना–पिलखुवा, जिला– हापुड़।
मुकदमा अपराध संख्या 585/2025

दिनांक 13.07.2026:–

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, दिनांक 12.10.2025, समय 16.50 बजे वहद स्थान ग्राम दहपा हल्का थाना पिलखुवा जिला हापुड़ पर मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस कर्मचारीगण हिम्मतनगर पहुंचे तो वह देखा कि करीब 20–26 लोग एक राय होकर हाथों में लाठी–डण्डों, सरिया लेकर आपस में एक–दूसरे पर सरिया, लाठी, डण्डो, ईट पत्थर से वार कर रहे है और आपस में गाली–गलौच व मारपीट कर रहे है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है तथा गांव के लोगों में भय होने के कारण अपने घरों के दरवाजे बन्द कर लिये। काफी समझाने पर भी झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष नहीं माने तथा भीड़ को धमकाकर मौके से तितर बितर किया गया तथा भीड़ के हटने के बाद गांव के डरे सहमे लोगों में हिम्मत बांधते हुए मौके पर झगडा करने वाले दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष के हसनैन पुत्र अल्लाह मेहर, मुकर्रम व मुफदिल पुत्रगण हसनैन, साकिब पुत्र जुल्फेकार, अनस पुत्र इस्तकार, इस्तकार व वारिस पुत्रगण इंतजार व द्वितीय पक्ष के शौकीन व सत्तार पुत्रगण मजरहसन, शाकिर, शाबिर व मौहम्मद शाद पुत्रगण शौकीन व अजहर पुत्र सत्तार आदि व दोनों पक्षों के 8 से 10 पुरूष व महिला नाम पता अज्ञात आदि में गाली–गलौच, लाठी डंडो एवं सरिया से एक दूसरे पर वार करने के कारण दोनों पक्षों के काफी चोटें आयी तथा एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे है। मौके पर हम पुलिस कर्मचारीगण ने प्रथम पक्ष के हसनैन पुत्र अल्लाह मेहर व मुकर्रम पुत्र हसनैन तथा द्वितीय पक्ष के शौकीन पुत्र मजरहसन व शाकिर पुत्र शौकीन को गिरफ्तार किया। मौके पर पडे घटना में प्रयुक्त 02 अदद सरिया, दो डण्डे, 05 टूटी हुई ईट बरामद की गयी तथा मौके पर फर्द तैयार की गयी।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में थाना हाजा की पुलिस ने ग्राम प्रधान से साज कर गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप है कि उन्होंने प्रथम पक्ष के अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठी डण्डे सरिया व ईट पत्थर से द्वितीय पक्ष के लोगों पर हमला किया तथा अपमानित करने के लिए झूठा लगाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में आवेदकगण/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस दिया गया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्याायलय की सन्तुष्टि के लिए अपनी उचित अग्रिम जमानत पेश करने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए प्रथम पक्ष के लोगों ने अपने हाथों में लाठी–डण्डे, सरिया, ईट व पत्थर से द्वितीय पक्ष पर हमला किया तथा इसी प्रकार

द्वितीय पक्ष के लोगों ने अपने हाथों में लाठी–डण्डे, सरिया, ईट व पत्थर से प्रथम पक्ष पर हमला किया, जिससे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के 6 लोगों को चोटें आयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने प्रथम पक्ष के अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने हाथों में लाठी–डण्डे, सरिया, ईट व पत्थर से द्वितीय पक्ष पर हमला किया तथा इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के लोगों ने अपने हाथों में लाठी–डण्डे, सरिया, ईट व पत्थर से प्रथम पक्ष पर हमला किया। घटना में शमीम, हसनैन, शहजादी, मुकर्रम, अकदस, शौकीन व सोना को चोटें आयी। इस न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त मुफदिल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दौरान विवेचना निरस्त किया गया था, किन्तु आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, बल्कि धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 की नोटिस देकर विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोपित धाराएँ सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सह अभियुक्त शाकिर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 19.05.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 585 सन् 2025, धारा 115(2), 117(2), 191(2), 191(3), 351(3), 352 बी.एन.एस. व धारा 7 क्रिमीनल अमेन्डमेन्ट एक्ट, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 50,000–50,000/– रूपये की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1 यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे तथा अपना–अपना पासपोर्ट विचारण की समाप्ति तक न्यायालय में जमा करेंगे।

4 यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

5. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

6. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अपने–अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 13.07.2026 प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

हापुड़